न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 2019/00025 (25/2019)

मंन्दिर ठाकुर जी जरिये नाबालिगान शाश्वत श्री ठाकूर जी द्वारा संरक्षक एवं पुजारी श्री रामकुमार पुत्र श्री नानूराम जाति स्वामी निवासी परलीका तहसील नोहर।

—अपीलांट

बनाम

स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

— रेस्पोडेंट

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर
दिनांक 05.11.2018 प्रकरण संख्या 79/2018
अनवान मन्दिर श्री ठाकूर जी बनाम रामकुमार, स्टेट

उपस्थितिः—

श्री मदन मोहन जोशी, अभिभाषक अपीलांट

श्री राजेश कौशिक राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट

निर्णय दिनांक 11.05.22

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत एक प्रार्थना—पत्र पेश किया। प्रार्थना—पत्र में कथन कियाकि चे 16 एनटीआर तहसील नोहर के खाता सं0 82/83 कुल 36 किता की 9.1080 हैक्टर भूमि जिसमें नहरी 8.9580 है0 गैरमुमकिन 0.1500 है0 भूमि स्थित है। [illegible] भूमि राजस्व रिकार्ड में मन्दिर श्री ठाकूर जी के नाम दर्ज है। चूंकि सायल व हाल में [illegible] तरतीबी प्रतिवादीगण उक्त भूमि काश्त करते हैं इसलिए उक्त भूमि के जरिये संरक्षक खातेदार का[illegible] हैं। यह भूमि सायल व उसकी माता सरबती पत्नी नानू का नाम बतौर काश्तकार दर्ज था

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 12:10:14 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

लेकिन गैरसायल नं0 1 ने उक्त नाम जमाबन्दी हाल में बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश गैर कानूनी ढंग से कलमजन कर दिया जिससे सायल को अपूर्णीय क्षति हुई। इसलिए उक्त नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। चूंकि मुस्मात सरबती फौत हो चुकी है जिसके जायज वारिसान सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 है जो वाद भूमि के खातेदार कातकार है। गैरसायल सं0 1 मन्दिर श्री ठाकूर जी के नाम दर्ज रहने का अनुचित फायदा उठाकर वाद भूमि से सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 को जबरिया बेदखल करने पर आमादा है। यदि वे अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो अपीलाण्ट को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। पैरोकार राज ने अपनी बहस में कथन किया कि वाद भूमि मन्दिर श्री ठाकूरजी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसका सायल संरक्षक है या नहीं जब तक किसी सक्षम न्यायालय या देवस्थान विभाग से पुजारी घोषित नही होता है तब तक मन्दिर ठाकुजर जी के नाम जर्द भूमि में काश्तकार का अंकन नहीं किया जा सकता। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि प्रश्गनत भूमि लिखमीदास पुत्र सीताराम जाति स्वामी को सन् 29.08.1925 को उक्त भूमि मन्दिर माफी के तौर पर मिली थी, इसके बाद 21.04.1941 को मिसल सं0 87 के द्वारा रेवेन्यु कमिश्नर महोदये के द्वारा दिनांक 10.12.1941 को लिखमीदास के खोलातयत बेटे नामनूराम के नार्ज दर्ज किये जाने की मंजूरी दे दी गई। मन्दिर के नाम यह भूमि बन्दोबस्त रिकार्ड में कभी भी खुद काश्त दर्ज नहीं रही है इसलिए वादी उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार हैं। धारा 9 व 10 [illegible] धारा 10 में स्पष्ट रूप से दर्ज है कि मन्दिर माफी की भूमि जागीर अधिग्रहण के समय किसी व्यक्ति के नाम खातेदार पट्टेदार तथा जागीरदार आदि के नाम दर्ज है तो उन खातेदार को पूर्व उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तान्तरित अधिकार प्राप्त होंगे ऐसी भूमि को पुनः मन्दिर के नाम दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। अपीलाण्ट ने धारा 151 सीपीसी का

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 12:10:14 IST
Reason: SelfAttested

प्रर्थना–पत्र पेश किया था, एक प्रार्थना–पत्र आदेश 39 नियम 7 सीपीसी का वाद भूमि के भौतिक सत्यापन हेतु मौका कमिश्नर नियुक्त किये जाने हेतु पेश किया था तथा एक प्रार्थना–पत्र आदेश 1 नियम 10 (2) सीपीसी पेश किया था जिन पर कोई निर्णय नहीं किया गया है। उक्त प्रार्थना–पत्रों का निस्तारण ना कर सीधे ही प्रकरण का निस्तारण कर दिया, ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत नहीं है। अपीलाण्ट उच्च रक्तचाप व बुखर से पीड़ित हो गया था आपीलाण्ट बीमार रहा ताा द्वितीय अपीलाण्ट अनपढ व दहाती व्यक्ति है उसे कानूनी बारीकियों का ज्ञान नहीं रहो। अपीलाण्ट ने जानबूझकर देरी नहीं की है। देरी क्षमा की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. रेस्पोडेण्ट की तरफ से विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन कियाकि वाद भूमि मन्दिर श्री ठाकुर जी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसका सायल संरक्षक है या नहीं जब तक किसी सक्षम न्यायालय या देव स्थान विभाग से पुजारी घोषित नहीं होता है तब तक मन्दिर ठाकुर जी के नाम दर्ज भूमि में काश्तकार या अन्य अंकन नहीं किया जा सकता है। ना ही किसी को दर्ज करने का अधिकार है। प्रश्नगत भूमि किसी भी प्रकार से अपीलाण्ट के नाम खातेदारी दर्ज नहीं की जा सकती है। सरकार अपीलाण्ट को क्यों बेदखल करना चाहती है व किस प्रकार बेदखल करना चाहती है के सम्बन्ध में अपने प्रार्थना–पत्र में कुछ भी अंकित नहीं किया है। मात्र पारिवारिक विवाद में स्टेट के विरूद्ध स्थगन लेकर उसका अनुचित लाभ उठाया जा रहा है। अपीलाण्ट को स्टेट के विरूद्ध दावा व प्रार्थना–पत्र लाने का अधिकार नहीं ना ही राजस्थान सरकार के विरूद्ध किसी प्रकार का स्थगन प्राप्त करने का अधिकारी है। पूर्व में एक वाद मन्दिर ठाकुर जी बनाम रामकुमार आदि विचाराधीन था जिसमें भी स्थगन आदेश जारी है तत्पश्चचात् उसी अदालत के द्वारा मन्दिर ठाकुर जी बनाम सरकार में भी स्थगन आदेश जारी किया गया है इस प्रकार एक ही भूमि के संबंध में दो स्थगन आदेश [illegible] इस प्रकार स्पष्ट है कि परिवारिक विवाद है और स्टेट के विरुद्ध स्थगन प्राप्त किया जा रहा है, जो उचित नहीं है। मन्दिर की भूमि में किसी निजी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 12:10:14 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है। प्रश्नगत भूमि मन्दिर ठाकुरजी के नाम से दर्ज है। अपीलाण्ट का कथन है कि वह मन्दिर ठाकुर जी की भूमि का काश्तकार है जो मन्दिर ठाकुर जी का पुजारी है एवं सेवा अर्चना एवं अन्य खर्च वहन करता है जो उकत भूमि की आय से करता है। प्रश्गनत भूमि लिखमीदास पुत्र सीताराम जाति स्वामी को सन् 29.08.1925 को उक्त भूमि मन्दिर माफी के तौर पर मिली थी, इसके बाद 21.04.1941 को मिसल सं0 87 के द्वारा रेवेन्यु कमिश्नर महोदये के द्वारा दिनांक 10.12.1941 को लिखमीदास के खोलातयत बेटे नामनूराम के नार्ज दर्ज किये जाने की मंजूरी दे दी गई। मन्दिर के नाम यह भूमि बन्दोबस्त रिकार्ड में कभी भी खुद काश्त दर्ज नहीं रही है इसलिए वादी उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार हैं। अपीलाण्ट ने प्रश्नगत भूमि पर अपना कब्जा काश्त होना भी बताया है। मगर अपीलाण्ट ने ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया है जिसके आधार उसको स्थगन आदेश दिया जावे। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेष्ण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.11.2018 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायलाय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.5.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 12:10:14 IST
Reason: SelfAttested

11/5/22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़